A 10

## ायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

ासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर0ए0एस0

ास्व प्रार्थना पत्र संख्या : 138/2012

थल :- बनाम गै0सा0 :-

बींजाराम पुत्र शिवराम उर्फ श्रीराम
जाति-माली,निवासी-बेरा छापरिया,
आनन्दपुर कालू, तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राज0)

1. अमरा पुत्र खीया
2. धन्ना पुत्र खीया
3. मल्ला पुत्र खीया
4. भीकाराम पुत्र खीया
5. प्रकाश पुत्र भीकाराम

सभी जातियान-माली (सांखला)
निवासीगण-बेरा मोतीवाला,
कावलियाकलां,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

ाजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 एवं 02 धारा 151 सीपीसी

तारीख रजूः 01/08/2012

ास्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 18/12/2017

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत ारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश कया कि सरहद मौजा-कांवलियाखुर्द, तहसील-जैतारण में वाके कृषि भूमि खसरा म्बर 525 रकबा 4-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का सायल काबिज ातेदार काश्तकार हैं। सरहद मौजा-कांवलियाखुर्द में वाके आराजी पर सैटलमेन्ट से र्व से सायल के स्वर्गीय पिता श्रीराम जिसे शिवराम या श्रीराम दोनों नामों से म्बोधित किया जाता था कि खातेदार व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 525 कबा 4-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल वाके सरहद मौजा-कांवलियाखुर्द पर ैटलमेन्ट से पूर्व से यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने े पूर्व दिनांक 15/10/1955 के पूर्व से बतौर खातेदार काश्तकार के लगातार पिछले 70 वर्षो से सायल का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं व श्रीराम उर्फ शिवराम की मृत्यु सम्वत् 2014 में होने के पश्चात् उक्त वादग्रस्त आराजी पर सायल श्रीराम उर्फ शिवराम के पुत्र की हैसियत से सायल काबिज हैं व काश्त करता आ रहा हैं। उक्त वर्णित भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि के जागीर अधिग्रहण के समय भूमि के जागीरदार सावलदान छोटूदान पि0 शिवकरण जाति-चारण निवासी-कावलियाकलां थे व सैटलमेन्ट विभाग द्वारा सायल व उसके पिता स्व. श्रीराम उर्फ शिवराम पुत्र मियाल के नाम पर्चा लगान जारी नहीं कर गलती से जागीरदार के नाम पर्चा लगान जारी कर दिया गया व सम्वत् 2010, सम्वत् 2011, सम्वत् 2012 व सम्वत् 2012 में लगातार सायल के पिता श्रीराम उर्फ शिवराम व सायल का कब्जा काश्त होने के आधार पर म्यूटेशन संख्या 19 मौजा-कावलियाखुर्द का पटवारी हल्का द्वारा सायल के पिता के नाम का धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् म्यूटेशन भरा गया, व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

A/10
2

क 16/06/1962 को सायल के नाम सैटलमेन्ट के पूर्व से लगातार कब्जा न के आधार पर सायल के पिता श्रीराम उर्फ शिवराम को खातेदारी अधिकार न किये गये, मगर म्यूटेशन संख्या 19 में श्रीराम उर्फ शिवराम के पिता मिया के न पर गलत रूप से सायल के पिता की वल्दीयत खीवा दर्ज कर दी गई, जो ीयत का इन्द्राज रौंग एन्ट्री है। जिसको जरिये दुरुस्ती के दुरुस्त किया जाकर ाम वल्द मिया दर्ज करवाने का सायल अधिकारी है। इसलिए दावा घोषणा खिलाफ सा0 के पेश किया है। वादग्रस्त जमीन की गिरदावरी सम्वत् 2010 में काश्त ाम वल्द मिया जाति-माली का इन्द्राज स्पष्ट रूप से दर्ज है। इसी प्रकार सम्वत् 11 की गिरदावरी में शिवराम वल्द मिया जाति-माली साकिन-आनन्दपुरकालू काश्त है। यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के वक्त ी दिनांक 15/10/55 विक्रम संवत् 2012 में वादग्रस्त भूमि का काबिज खातेदार श्तकार होने से धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार बाई परेशन ऑफ लॉ साल का पिता जिसे श्रीराम या शिवराम दोनों नामों से सम्बोधित या जात था व दोनों नामों की गिरदावरी सम्वत् 2010, सम्वत् 2011 व सम्वत् 012 में श्रीराम व शिवराम वल्द मिया जाति-माली साकिन-आनन्दपुर कालू बतौर बिज खातेदार काश्तकार होने से वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार बाद सम्वत् 014 में श्रीराम उर्फ शिवराम के फौत होने के पश्चात् सम्वत् 2016, सम्वत् 017 में सायल के सगे चाचा गंभीर का काश्त दर्ज है। सम्वत् 2018 में सायल चाचा गंभीर व स्वयं सायल का वादग्रस्त जमीन में काश्त दर्ज है। गिरदावरी म्वत् 2010 से 2020 प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, जिसे प्रार्थना त्र का एक भाग माना जावें। गिरदावरी सम्वत् 2010 में स्पष्ट रूप से सायल के ता श्रीराम उर्ज शिवराम वल्द मिया के नाम से कब्जा काश्त दर्ज होने व सम्वत् 012 के पूर्व से लगातार सायल के पिता के काश्त के आधार पर म्यूटेशन संख्या 9 जो दिनांक 16/06/1962 को पारित हुआ, के तहत् सायल के पिता को दग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, तब से सायल उक्त खेत पर तौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। उसका खातेदार कश्तकार है व गिरदावरी के ाधार पर भरे गये म्यूटेशन में श्रीराम की वल्दीयत श्रीराम वल्द खीवा का जो न्द्राज है या खीवा का इन्द्राज गलत है, जिसे दुरुस्त करवाने का सायल अधिकारी ै। सायल उक्त वादग्रस्त भूमि का एक मात्र रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। समें गै0सा0 का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व कब्जा न था न है। ऐसी घोषणा प्राप्त करने का एवं सायल काबिज खातेदार काश्तकार है। इस रूप में सायल का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में दर्ज करवाने का सायल अधिकारी है व ऐसी घोषणा प्राप्त करने का सायल अधिकारी है। इसलिए प्रार्थना पत्र घोषणा खिलाफ गै0सा0 के पेश किया है। म्यूटेशन संख्या 19 में गलत रूप से सायल के पिता की वल्दीयत खीवा गलत लिखी है। उसे दुरुस्ती कर मियाल दर्ज की जावें। इस म्यूटेशन के आधार पर सम्वत् 2012 से आज दिन तक वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में सायल के पिता श्रीराम उर्फ शिवराम के स्थान पर खीया का गलत इन्द्राज दर्ज हुआ है। उसे हटाया जाकर श्रीराम उर्फ शिवराम वल्द मियाल जरिये दुरुस्ती दर्ज करवाने का सायल अधिकारी है। इसलिए प्रार्थना पत्र घोषणा खिलाफ गै0सा0 के पेश किया है। सायल व उसके पिता बेरा छापरिया का बापी पट्टा सम्वत् 1998 दिनांक 28/02/1941 के ग्राम - आ0कालू, परगना जैतारण रियासत जोधपुर का असिस्टेंट कमीश्नर लैण्ड रिकॉर्ड मेड़ता द्वारा श्रीराम बेटा मियाल रो जात रो माली मिम्बावत वासी गांव रो दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जो सरकारी रेकर्ड का पट्टा हैं व पब्लिक रेकर्ड हैं। उक्त बापी पट्टा की फोटो प्रति र्थना पत्र के साथ पेश की हैं। इसी प्रकार सायल के पिता द्वारा तत्कालीन जोधपुर वर्मेन्ट को अपना बेरा छापरिया की जमीन का लगान महकमा माल राजस्थान रवाड जोधपुर गवर्मेन्ट को लगान अदा करने की रसीद दिनांक 12/07/1943 जो ा0कालू में बेरा छापरिया का लगान अदा किया में बापीदार श्रीराम वल्द मयाल ाति-माली निवासी-आ0कालू स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। उक्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के ाथ पेश किया हैं। जिसमें प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। इसी प्रकार हकमा हवाला जोधपुर गवर्मेन्ट को आ0कालू ग्राम में बापी की जमीन का लगान की रसीद दिनांक 27/07/47 प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। श्रीराम बेटा मयाल रो ात रो माली दर्ज, जो सम्वत् 2003 की रसीद हैं। इसी प्रकार सम्वत् 2003 दिनांक 27/07/47 महकमा हवाला जोधपुर गवर्मेन्ट रसीद अदायगी लगान में श्रीराम बेटो मयाल रो माली दर्ज हैं, जो प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। इसी प्रकार तत्कालीन जोधपुर रियासत के महाराजा श्री उम्मेदसिंह का देहान्त होने के पश्चात् महाराजा हरवन्तसिंह जोधपुर रियासत के शासक हुये। उन्होंने अपने सगे छोटे भाई महाराजा हीमतसिंह ग्राम-आ0कालू जागीर में दिया, जिसका महाराजा हीमतसिंह बतौर जागीरदार ग्राम-आ0कालू के सायल के पिता की बेरा छापरिया के बापी की जमीन का लगान दिनांक 13/07/1948 यानि विक्रम सम्वत् 2004 में प्राप्त किया, जिसमें सायल के पिता सीवराम वल्द मयाल माली गांव रो दर्ज हैं। उक्त रसीद दिनांक 13/07/48 प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया हैं। जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। इसी प्रकार जागीर पुनर्ग्रहरण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने पर महाराजा हीमतसिंह की जागीर राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लेने पर व आजादी के बाद राजस्थान राज्य का निर्माण होने पर राजस्थान सरकार के सैटलमेन्ट विभाग द्वारा सायल के पिता के बापी का बेरा छापरिया का बन्दोबस्त व सैटलमेन्ट विभाग द्वारा दिनांक 15/12/54 को सायल के पिता के नाम का पर्चा लगान जारी किया गया, जो सम्वत् 2011 से 2030 का जरी किया गया में सायल के पिता का नाम शिवराम वल्द मयान माली साकिन देय खातेदार के रूप में स्पष्ट रूप से अंकन हैं व पर्चा लगान की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। सम्वत् 2012 में उक्त बेरा छापरिया के लगान की रसीद दिनांक 06/09/1956 को पटवारी हल्का-आ0कालू द्वारा जारी की गई, जिसमें आ0कालू चक दो के बेरा छापरिया की लगान रसीद में सायल बींजा वल्द शिवराम माली, शिवराम वल्द मयाल माली दर्ज हैं। यह रसीद सम्वत् 2012 की हैं, जो प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। इसी प्रकार पटवारी हल्का-आ0कालू द्वारा जारी बिगोडी रसीद सम्वत् 2015 दिनांक 21/02/59 में भी बींजा वल्द शिवराम दर्ज हैं, जो प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। वर्ष 1941 से 1959 के सरकारी रेकर्ड के जो दस्तावेजात सायल द्वारा प्रस्तुत किये गये वादग्रस्त भूमि की गिरदावरीयां की प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। जिससे श्रीराम व शिवराम वल्द मयाल माली, बींजा वल्द शिवराम व श्रीराम माली स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। सायल बींजा उसके पिता श्रीराम उर्फ शिवराम से कोई संबंध हैं। केवल खीवा शब्द म्यूटेशन में पटवारी हल्का द्वारा केरीकल एरल के आधार पर इन्द्राज किया गया, जो रोंग एन्ट्री हैं। इससे गै0सा0 संख्या 01 से लगायत 05 के पिता खीया वल्द काना जाति-माली निवासी-बेरा मोतीवालना सरहद मौजा-कावलिया कला से कोई संबंध नहीं हैं व गै0सा0 संख्या 01 से 05 का वादग्रस्त भूमि से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कोई संबंध नहीं हैं न ही कभी कब्जा काश्त रहा हैं। केवल श्रीराम वल्द खीया के गलत इन्द्राज के आधार पर लोगों के सिखाने व बहकावे से वादग्रस्त भूमि कीमती हो जाने से व जमीन को हडपने की नियत से गै0सा0 संख्या 01 से 05 के 45 वर्ष फौत हुए भाई भंवरु वल्द खीया को श्रीराम उर्फ भंवरु वल्द खीया माली होना बताकर गलत रूप से उक्त भूमि से सायल को बेदखल करने व गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में अपने को उत्तराधिकारी बनाने की नियत से ग्राम पंचायत आ0कालू से फर्जी भंवरु का श्रीराम उर्फ भंवरु वल्द खीया माली के नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हैं। जबकि गै0सा0 संख्या 01 से 05 का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार को कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त न कभी था न हैं। वादग्रस्त भूमि से गै0सा0 संख्या 01 से 05 का कोई संबंध नहीं हैं। ऐसी घोषणा प्राप्त करने का सायल अधिकारी हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र घोषणा खिलाफ गै0सा0 के पेश किया हैं। प्रतिवादी सं. आठ बाबुलाल पुत्र नामालूम जाति माली निवासी मालियों की ढाणी, ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर ने अन्य व्यक्तियों से मिलकर व सायल की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 525 रकबा 4.13 बीघा किस्म बा. अव्वल भूमि को हडपने की नियत से प्रतिवादी सं. आठ बाबुलाल माली निवासी खेजडला ने स्वयं को गलत व फर्जी रुप से श्रीराम वल्द खीया जाति माली आयू 60 वर्ष निवासी मालियों की ढाणी, कावलियां खुर्द तहसील जैतारण का रहवासीय व निवासी होना बताकर व स्वयं को खसरा नं. 525 रकबा 4.13 बीघा भूमि का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार होना बताकर दिनॉक 14.05.2012 को बएवजाने रुपये 1,25,000/- में उक्त वादग्रस्त भूमि जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनॉक 14.05.2012 कूटरचित व फर्जी दस्तावेज तैयार कर श्री बाबुलाल प्रतिवादी सं. आठ स्वयं का फोटो लगाकर प्रतिवादी सं. छः अब्दुल हमीद के नाम का वादग्रस्त भूमि का फर्जी बैचान नामा तैयार करवाकर उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पंजीयन करवाया, उक्त बैचान दिनॉक 14.05.2012 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। तत्पश्चात् प्रतिवादी सं. छः अब्दुल हमीद के बतौर खरीददार के उक्त वादग्रस्त भूमि स्वयं को काबिज खातेदार काश्तकार होना बताकर दिनॉक 18.06.2012 को प्रतिवादी सं. सात रतनदान को बएवजाने रुपये 1,25,000/- में लिखित बैचाननामा तहरीर तकमील करवाकर उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पंजीयन करवाया, जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार प्रतिवादी आठ द्वारा प्रतिवादी छः के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनॉक 14.05.2012 अवैध गैरकानूनी व नल एण्ड वॉईड है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. छः द्वारा प्रतिवादी सात के पक्ष में करवाया गया लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनॉक 18.06.2012 भी अवैध गैरकानूनी व नल एण्ड वॉईड है व प्रभाव शून्य है उक्त दोंनो बैचान सायल के हितो के विरुद्ध बेअसर होने, नल एण्ड वॉईड होने से प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी 6, 7, व 8 का वादग्रस्त भूमि में कोई सम्बन्ध नही है इसलिए उक्त उक्त दोंनो बैचान को अवैध गैरकानूनी व नल एण्ड वॉईड घोषित किया जावे, ऐसी घोषणा प्राप्त करने का सायल अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। प्रतिवादी सं. आठ बाबुलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि के अलावा सरहद मौजा पोहावड तहसील जैतारण में स्थित भूमि खसरा 372 रकबा 15.02 बीघा किस्म बा. प्रथम की भूमि कमलचन्द मोहनलाल पिसरान छोटूलाल जाति ब्राहमण निवासी रामदेव मन्दिर के पास पुष्कर जिला अजमेर राज. की भूमि में बाबुलाल ने स्वयं को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मोहनलाल पुत्र छोटूलाल जाति ब्राहमण निवासी पुष्कर का होना बताकर स्वयं की फोटो लगाकर दिनॉक 18.06.2012 को एक फर्जी बैचाननामा तकमील किया, इस प्रकार प्रतिवादी सं. आठ वादग्रस्त भूमि में श्रीराम वल्द खीया माली कावलियां खुर्द बनकर फर्जी दस्तावेज तकमील करवाकर पंजीयन करवाया व घोडावड ग्राम में स्थित भूमि मोहनलाल पुत्र छोटूलाल जाति ब्राहमण बनकर रजिस्ट्री की, दोनों बैचानकर्त्ताओं की फोटूए हैं व घोडावड का बैचान दिनॉक 18.06.2012 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है व घोडावड की जमीन का फर्जी बैचान का निरस्ती का दावा ए.डी.जे.कोर्ट,जैतारण में किया, जिसकी प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे । इस प्रकार स्पष्ट रुप से प्रतिवादी सं. आठ द्वारा प्रतिवादी सं. छः के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का फर्जी बैचान दिनॉक 14.05.2012 कूटरचित व फर्जी है जबकि सायल के पिता श्रीराम उर्फ शिवराम की मृत्यु सम्वत् 2014 यानि 55 वर्ष पूर्व हो चुकी है मृतक व्यक्ति के स्थान पर फर्जी रुप से दस्तावेज तकमील कर पंजीयन करवाया, जो गैर कानूनी व प्रभाव शून्य है इसी दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी सं. छः द्वारा गैरसायलान सं. सात के पक्ष में दिनॉक 18.06.2012 को किया गया बैचान की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे रद्द घोषित करवाने का सायल अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र घोषणा मन्सूखी बैचान खिलाफ गैरसायलान के पेश है। म्यूटेशन सं. 19 दिनॉक 16.06.1962 में सायल के पिता श्रीराम वल्द मियाल के स्थान पर वल्दीयत में खीवा दर्ज हुआ है जो एक रोंग एन्ट्री है जिसे हटाया जाकर श्रीराम वल्द मियाल दर्ज किया जावे। इसके पश्चात् के सम्वत् रेकर्ड में श्रीराम वल्द खीया के स्थान पर श्रीराम वल्द मियाल जाति माली निवासी बेरा छापरिया सरहद मौजा आ. कालु जरिये रेकर्ड दुरुस्ती के दर्ज किया जावे, ऐसी रेकर्ड दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र बहक सायल खिलाफ गैरसायलान के पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि का सायल रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है गैरसायलान का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नही है गैरसायलान सं. एक से पांच अवैध गैरकानूनी रुप से बिना किसी आधार व अधिकार के सायल के पिता श्रीराम उर्फ शिवराम की मियाल के स्थान पर खीया के रुप में का गई रोंग एन्ट्री के आधार पर भंवरु वल्द खीया को भंवरु उर्फ श्रीराम फर्जी होना बताकर वादग्रस्त भूमि हडपने व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने पर आमादा है। गैरसायलान सं. एक से पांच सायल को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। दिनॉक 29.07.2012 को सायल को एलानिया धमकी दी की, वो वादग्रस्त भूमि से सायल को बेदखल करेगें, व सायल के कब्जे काश्त में दखलादांजी करेगें, जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदि गैरसायलान द्वारा ऐसा किया गया तो सायल गैरसायलान को ऐसा हरगीज नही करने देगा, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, ऐसा होने पर सायल को गैरसायलान के विरुद्ध बार बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेगें, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, व विविध मुकदमबाजी होगी, सायल को अपूरणीय क्षति हाकगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, इसलिए सायल गैरसायलान के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है,इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को तलब किया गया। वकील गै0सा0 ने जबाब पेश किया हैं कि विवादित आराजी को बताई गई हैं। वह स्वीकार की जाती हैं। सायलान का इस पर कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। मुतनाजा भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

र सैटलमेन्ट से पूर्व सायल के पिता श्रीराम का कभी का कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। 0सा0 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। गै0सा0 के बडे भाई ीराम के नाम की खातेदारी संवत् 2018 से आज तक चली आ रही हैं। गै0सा0 भाई श्रीराम फौत होने के बाद गै0सा0 बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा काश्त ला आ रहा हैं। सायल ने खसरा गिरदावरी में अपने पिता का नाम दर्ज होने का खा, वह सरासर गलत हैं। जबकि संवत् 2010 से 2020 तक गै0सा0 के भाई ीराम का नाम गिरदावरी में दर्ज हैं। दिनांक 16/06/1962 को गै0सा0 के भाई ीराम पुत्र खींया का धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् ातेदार अधिकार दिए थे। राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं हैं। ायलान ने अपने पिता श्रीराम उर्फ शिवराम पुत्र खीया बताकर गलत रूप से उक्त भूमि हड़पना चाहता हैं। संवत् 2010 में सायल के पिता का नाम दर्ज नहीं हैं। यूटेशन संख्या 19 जो दिनांक 16/06/1962 को पारित किया गया था। गै0सा0 संख्या 01 से 04 बडा भाई श्रीराम पुत्र खींया के नाम स्वीकृत हुआ था। सायलान के उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 7 रतनदान से साठ-गांठ कर रजिस्ट्री कराने की कोशिश की। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्य सरासर गलत हैं। श्रीराम पुत्र खींया सही दर्ज हैं। खींया की जगह मियाल का नाम दर्ज नहीं किया सकता हैं। रजिस्ट्री फर्जी प्रतिवादी से सात ने बाबूलाल को श्रीराम पुत्र खींया बताकर करवाई गई थी। फिर अब्दुल हमीद से रतनदान ने यह जानते हुए की, रजिस्ट्री फर्जी हैं। अपने नाम रजिस्ट्री कराने की फिराक में था। पुलिस थाना जैतारण में सी.आर. नम्बर 317 दिनांक 25/08/2012 को अपराध अन्तर्गत धारा 467, 468, 469, 471, 420, 120(बी) आईपीसी का दर्ज कराया, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। बाबूलाल द्वारा सरहद मौजा-घोड़ावड़ में कोई फर्जी रजिस्ट्री करवाई तो गै0सा0 को कोई जानकारी नहीं हैं। राजस्व रेकर्ड में सही नाम दर्ज हैं। श्रीराम लावल्द फौत हो गया था। श्रीराम उर्फ शिवराम पुत्र मियाल दर्ज नहीं किया जा सकता हैं। गै0सा0 शांतिपूर्ण काश्त करते हैं। गै0सा0 को बेदखल करना सरासर गलत हैं। सायल को किसी तरह की क्षतिपूर्ति होने सवाल उत्पन्न नहीं होता हैं। सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में नहीं हैं। सुविधा का सन्तुलन गै0सा0 के पक्ष में हैं। सायल अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकारी नहीं हैं। सायल का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावें।

बकुलाय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान जाहिर किया कि सायल मौजा-कांवलिया खुर्द में खसरा नम्बर 525 रकबा 4-13 बीघा पर दिनांक 15/10/55 से पूर्व काबिज था। संवत् 2012 में श्रीराम उर्फ शिवराम हैं। नामान्तरकरण संख्या 19 में श्रीराम वल्द खींया माली दर्ज हो गया। वल्दियत गलत दर्ज हो गई। रजिस्ट्री में यह फर्जी हैं। राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज हटाया जावें। पटवारी ने गलत रूप से नाम चेंज कर दिया गया हैं। गवाहों के शपथ-पत्र पेश किये गये हैं। बहस के दौरान 2015/3 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 71 पेरा 9 व एआईआर 2014 सुप्रीम कोर्ट 1957 पेरा 17, एआईआर 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 4428 की नजीरें पेश की हैं। सायल का कब्जा काश्त होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। विद्वान अभिभाषक गै0सा0 ने बहस के दौरान जाहिर किया कि बीजाराम हीराराम का पुत्र हैं। रतनदान पटवारी एवं शफी मोहम्मद पटवारी ने रजिस्ट्री फर्जी बताई हैं। पुनः रजिस्ट्री करवाई रतनदान को सायलान के खिलाफ एफआईआर अदालत में विचाराधीन हैं। 1962 में श्रीराम के नाम नामान्तरकरण भरा। वर्तमान में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

A/o
7

...गा पत्र खींया का हैं। कब्जा संवत् 2010 से श्रीराम भांबी का हैं। माली का नहीं 1962 में खातेदारी मिली थी। कब्जा हमारा हैं। बींजाराम का नहीं हैं। लगान के ...सीदों में खसरा नम्बर नहीं लिखा हैं। गै0सा0 को बेदखल नहीं किया जा सकता ... बहस के दौरान आरआरटी 2014 पार्ट–I पृष्ठ 523, आरआरटी 2012 पृष्ठ 2, ...रआरटी 2015 पृष्ठ 633 की नजीरे पेश की। सायलान का सुविधा का संतुलन ...ने से प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें।

बहस को समायत की गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ...वलोकन किया गया। गिरदावरी का अवलोकन किया गया। भू0अ0निरीक्षक द्वारा ...का रिपोर्ट बनाई गई। बींजाराम के खडाई, पाला लगवाना आदि स्वीकार किया हैं। ...तबिरान द्वारा भी बींजाराम का कब्जा काश्त होना जाहिर किया हैं। यह बापी गांव ...0कालू–चक–II दिनांक 28/02/41 को जारी किया गया हैं। श्रीराम बेटा मयाल ...म–माली के नाम किया गया हैं। महकमा माल श्री दरबार राज मारवाड़ में श्रीराम ...त्र मियाल माली का दर्ज हैं। रसीदों की छाया प्रति 06/06/56 की पेश की हैं। ...पाहा हवाला 161/426 पेश की हैं। जिसमें श्रीराम बेटा मयाल माली का दर्ज हैं। ...003 की छाया प्रति पेश की हैं। गै0सा0 ने आरटीए की धारा 19 के तहत् ...ल्दियत के नाम से गै0सा0 को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया हैं। सैटलमेन्ट ... पहले से सायल का इस भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। श्रीराम पुत्र ...ीयाराम दर्ज किया गया हैं। सायल का ही खसरा नम्बर 525 रकबा 4–13 बीघा ...र कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। यदि सायल को उक्त आराजी से बेदखल करने पर ...सीम हानि होगी। सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में हैं। सायल का प्रार्थना ...त्र स्वीकार किया जाता हैं।

## –:: आदेश ::–

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध गै0सा0 के जारी की जाती हैं ...क मौजा–कांवलिया खुर्द, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 525 रकबा 4–13 बीघा ...र गै0सा0, नौकर चाकर, एजेन्ट को सायल के कब्जे काश्त में दखल करने एवं ...ौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई ...षेधाज्ञा से रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद ...कमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 18/12/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner